108 215

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-4235-II/13

1. मुस0सुखलली बेवा छेदीलाल
2. दयाराम उम्र 37 वर्ष
3. प्रेमलाल उम्र 35 वर्ष
4. शोभनाथ उम्र 33 वर्ष

तीनो के पिता छेदीलाल, सभी निवासी ग्राम बरहा तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0------------------**निगराकारगण**

बनाम

लालमन पिता जगतदेव चमार सा0-ग्राम बरहा तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0-------------------------------------**गैर निगराकार**

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल भझगवां तहसील मझगवां के रा0प्र0क0-83अ12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 29.07.13 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का0मा0

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्राम बरहा की आ0नं0-137/5 का आवेदक भूमिस्वामी लालमन पिता जगतदेव सा0-बरहा द्वारा प्रश्नांकित आराजी का सीमांकन करने के सम्बन्ध में तहसील न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बाद जांच राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा सीमांकन करने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात मौके से सीमांकन किया गया। किन्तु निगराकारगण भी सीमांकन की जा रही आराजी के

Conti.......2

(103)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.4235 / II–2013 जिला–सतना

मु0सुखलली / लालमन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0एन0 साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 83 / अ–12 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	